

सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 15वाँ वित्तआयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता व सेनेटाईजेशन के लिये आरक्षित है उससे कि जायेगी। उपरोक्त धनराशि की अनुपलब्धता व कमी की दशा में राज्य वित्त आयोग से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।